

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री बृजमोहन बैरवा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 38/2017 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

दायर दिनांक 04.10.2017

निर्णय दिनांक 05.12.2017

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

श्री ताराचन्द जोशी पुत्र श्री पुरुषोत्तम जोशी (विक्रेता एवं मालिक) —

मैसर्स विनायक डेयरी फार्म नया रोड तहसील रोड नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार हैं। विपक्षी पर सब स्टेण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री ताराचन्द पुत्र श्री पुरुषोत्तम जोशी (विक्रेता एवं मालिक) — मैसर्स विनायक डेयरी फार्म नया रोड तहसील रोड नाथद्वारा जिला राजसमन्द जो की दूध बेचने का कार्य करता है। इनकी डेयरी दूकान पर दिनांक 15.06.2017 को समय 05.00 पीएम पर वास्ते चेकिंग मैसर्स विनायक डेयरी फार्म नया रोड तहसील रोड नाथद्वारा जिला राजसमन्द पर पहुँचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया। वक्त निरीक्षण (डेयरी) दूकान पर एक डीप फ्रिज में एक एल्यूमिनियम की 40 लीटर क्षमता वाली टंकी में करीब 12 लीटर मिक्स मिल्क आम जनता को विक्री हेतु रखा पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर सबस्टेडर्ड मिक्स दूध वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा गया। खरीदे गये दूध 2 लीटर जिसकी कीमत विक्रेता श्री किशनसिंह को रुपये 80/- नगद दी गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य मिक्स दूध के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा मिक्स दूध को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार साफ सूखी खाली कांच की बोटल्स में बराबर मात्रा में भरकर फार्मलिन की 40-40 बूंदे डालकर प्रत्येक कांच की बोटल पर एयर कार्क लगाया। प्रत्येक नमूने के बोटल पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक, स्थान, नमूने की किस्म व फार्मलिन की मात्रा अंकित की एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.

38

आई 703 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूनों की बोटल्स पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनों की शीशीयों एवं नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2017/2005 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/352/एक्ट/2017/363 दिनांक 28.06.2017 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना मिक्स दूध सब-स्टेण्डर्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय(खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक 2265 दिनांक 14.08.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को विपक्षी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विपक्षी की दूकान पर मिक्स दूध विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त मिक्स दूध में मिलावट मेरे द्वारा नहीं कि गई। मेरे द्वारा दूध गांव के व्यक्तियों से खरीद कर बेचा जाता है। मुझे सब स्टेण्डर्ड दूध की कोई जानकारी नहीं थी। भविष्य में ऐसी गलती नही करूंगा। विपक्षी द्वारा जूम स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी द्वारा मिक्स दूध सब स्टेण्डर्ड होने संबंधी अपना जूम स्वीकार किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (II) का उपयोग करते हुए उक्त केस में सब स्टेण्डर्ड मिक्स दूध का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को कुल 3,500/- रूपये (अक्षरे रूपया तीन हजार पांच सौ रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

